



2026:AHC:41739-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

विशेष अपील संख्या-865/2014

बलवीर सिंह

.....अपीलकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....प्रतिवादी

अपीलकर्ताओं के अधिवक्ता: रणजीत सिंह

प्रतिवादी के अधिवक्ता: राजीव सिंह(स्थायी अधिवक्ता), अनादि कृष्ण नारायण, अनामिका सिंह

मुख्य न्यायाधीश का न्यायालय

माननीय मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंशाली,

माननीय न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र,

1. यह अपील दिनांक 12.07.2014 को विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा रिट-सी संख्या 11502 वर्ष 2009 में पारित आदेश के विरुद्ध है, जिसके द्वारा विद्वान एकल न्यायाधीश ने इस निष्कर्ष पर पहुंचते हुए कि ऋण राहत योजना, 2008 की राशि याचिकाकर्ता के खाते में जमा कर दी गई है और शेष राशि की वसूली की जा रही है, इसलिए याचिका निरस्त कर दी गई।
2. वर्ष 2014 में दायर अपील में कोई अंतरिम आदेश नहीं दिया गया है।
3. पूछे जाने पर, अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने बताया कि वर्ष 2014 में ही बैंक द्वारा अपीलकर्ता से विवादित राशि वसूल कर ली गयी थी।
4. बाद के घटनाक्रम को देखते हुए, जिसमें बैंक द्वारा बकाया राशि वसूल कर ली गई है, अपील निष्प्रभावी हो गयी है।
5. अतः, अपील निष्प्रभावी होने के कारण निरस्त की जाती है।

(क्षितिज शैलेंद्र, न्यायमूर्ति) (अरुण भंशाली, मुख्य न्यायमूर्ति)

24 फरवरी, 2026

एसएल/एएचए

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”